न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ

उपस्थित : बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010031382023

सत्र वाद संख्याः– 783/2023

******

राज्य

बनाम

राम आशीष यादव पुत्र रमाकान्त यादव,
सा० नरौनी, थाना मु०बाद गोहना, जनपद मऊ।
अन्तर्गत धारा–272 भा०दं०सं० व 60 आबकारी अधिनियम
मुकदमा अपराध सं०–1396/2009
थाना– मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ

निर्णय

(1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त **राम आशीष यादव** का विचारण उनके विरूद्ध थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1396/2009, अन्तर्गत धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60 आबकारी अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर किया गया है।

(2) अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** के अनुसार दिनांक 25.09.2009 को मैं एस०एस०आई० आर०बी० सिंह हमराह का० कायम रज़ा, का० सुभाष यादव व चालक का० भरत सिंह के मय जीप सरकारी रवाना हुआ देखभाल क्षेत्र त्यौहार दशहरा व दुर्गापूजा व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर था कि मड़ैया चट्टी पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि अभियुक्त राम आशीष यादव निवासी नरौनी जो थाना हाजा के मु०अ०सं० 1329/2009 धारा 60/62 आबकारी अधिनयम व 272 भा०दं०सं० में वांछित भी है, इस समय अपने घर पर मौजूद है और अपमिश्रित शराब तैयार करने में लगा है। इस सूचना पर विश्वास करके मैं एस०आई० मय हमराहियान मड़ैया चट्टी पर मिले। एस०आई० लालमणि कनौजिया व का० सतीश कुमार को साथ लेकर बसिलसिले गिरफ्तारी अभियुक्त व बरामदगी शराब ग्राम नरौनी आया जीप व चालक को ग्राम के पास छोड़कर मय मुखबिर के गांव के पूरवी व उत्तरी किनारे स्थित राम आशीष यादव के मकान के पास आया, मुखबिर के इशारे पर राम आशीष यादव के पक्के मकान के उत्तर सरपत की दीवारनुमा बनी टाटी के घेरे में एक तख्त पर एक आदमी प्लास्टिक के बड़े ड्रम में शराब के कारोबार में लगा हुआ नजर आया। हम पुलिस वाले खुद को छिपाते हुए सरपत की टाटी की

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.09 07:44:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आड़ से छिपकर देखा तो यह व्यक्ति जिसे हमराह का० द्वारा राम आशीष यादव साकिन नरौनी के रूप में पहचान की गयी, तख्त पर रखे ड्रम में शराब में पास रखे यूरिया और फिटकरी तथा नौशादर अपने हाथ में मिलाकर ड्रम में शराब को अपमिश्रित कर रहा है जो मानव जीवन के लिए इश्तेमाल करने पर खतरनाक है। पास में तख्त पर एक पाउचिंग मशीन रखी तथा तमाम खाली पाउच प्लास्टिक के रखे नजर आ रहे है। तख्त पर अलग–अलग नौशादर, यूरिया व फिटकरी रखी हुयी जिसमे से निकालकर ड्रम में डाला गया है नजर आ रही है। मुझ एस०एस०आई० को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अपमिश्रित शराब (मिलावटी) पाउचिंग के लिए तैयार की जा रही है। समय करीब 17.30 बजे एक बारगी दबिस देकर पकड़ने से कुछ क्षण पहले ही आहट पाकर अभियुक्त राम आशीष यादव उत्तर की तरफ भागते हुए नदी की तरफ फसलो की आड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। मौके पर तख्त पर रखे लाल रंग के बड़े ड्रम में करीब 100 लीटर अपमिश्रित शराब, पास में एक जरिकैन में 20 लीटर तथा दूसरे जरिकैन में 10 लीटर भरी शराब, एक हरी पन्नी में करीब 1/2 किलोग्राम यूरिया, एक हरी पन्नी में करीब एक पाव नौशादर तथा एक सफेद पन्नी में करीब एक पाव फिटकरी, एक पाउचिंग मशीन जिस पर गोल्डेन इगल लिखा है, नीले रंग की जिसका उपरी भाग सफेद रंग का है तथा प्लास्टिक के खाली 235 बड़े खाली पाउच एक प्लास्टिक की बाल्टी तथा एक मग तथा पास में रखा एक 5 लीटर का खाली जरिकैन और एक झोला बरामद हुआ। मौके पर बरामद बड़े ड्रम में करीब 5 लीटर शराब जरिकैन खाली में भरकर बतौर नमूना लिया गया। ड्रम की शराब जरिकैन खाली में भरकर बतौर नमूना किया गया। ड्रम की शराब में उसका ढक्कन लगाकर मुह पर कपड़ा लगाकर सर्व मुहर तथा फिटकरी, नौशादर व यूरिया को इन्ही पन्नी से बांध कर सभी को झोले में रखकर सर्व मुहर तथा पाउचिंग मशीन व खाली पाउच की एक अन्य पास पड़े, झोले में रखकर सर्व मुहर किया गया। 5 लीटर की जरिकैन जो बतौर नमूना लिया गया है मूह पर कपड़ा बांधकर सर्व मुहर किया गया। बाल्टी व मग कब्जा पलिस में लिया गया। फर्द मौके पर मुझ एस०एस०आई० द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर हमराहियान बनवाये जा रहे है। गांव के उपस्थित व्यक्तियों से गवाही के लिए कहा गया तो अभियुक्त राम आशीष यादव पुत्र रमाकान्त यादव के डर से कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। नमूना मुहर तैयार किया गया है। अभियुक्त राम आशीष का यह कार्य धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०सं० का दण्डनीय अपराध है।

(3) फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** के आधार पर तत्कालीन हेड का० नन्कऊ राम ने दिनांक 25.09.2009 समय 17.30 बजे इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60 आबकारी अधिनियम चिक **प्रदर्श क–2** के रूप में पंजीकृत किया तथा इस मुकदमे के कायमी की प्रविष्टि दिनांक 25.09.2009 को रोजनामचा के रपट सं. 48 पर समय 20.10 बजे जी०डी० **प्रदर्श क–3** में अंकित किया। अन्वेषण का

भार विवेचक को सुपुर्द किया गया। अन्वेषण की समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त राम आशीष यादव के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप–पत्र **प्रदर्श क–5** न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(4) तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा आरोप–पत्र पर संज्ञान दिनांक 23.12.2009 को लिया गया तथा मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण नियमानुसार दिनांक 01.06.2023 को सत्र सुपुर्द किया गया।

(5) अभियुक्त को तलब किया गया। तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, मऊ द्वारा दिनांक 02.06.2023 को अभियुक्त राम आशीष यादव के विरुद्ध धारा– 60 आबकारी अधिनियम व धारा– 272 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(6) अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में कुल 2 साक्षियों को परीक्षित किया है जिसमें वादी मुकदमा सहित एक अन्य पुलिस के साक्षी हैं जिन्होंने अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किये गये अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

(7) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फर्द के **साक्षी सं. 1 सुभाष सिंह यादव**, ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20.10.2023 को सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 25.09.2009 को मैं वरिष्ठ उप–निरीक्षक आर०बी० सिंह, थाना मु०बाद, जनपद मऊ का हमराह था। हम लोग उस दिन देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त मामूर थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि अभियुक्त राम आशीष यादव अ०सं० 1329/2009 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०सं० में वांछित अभियुक्त है। इस समय अपने घर पर मौजूद है। अपमिश्रित शराब बना रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर मड़ैंया चट्टी पहुँचे जहाँ एस०आई० लालमणि कनौजिया मय हमराही मिले उनको मय हमराही साथ लेकर अभियुक्त गिरफ्तारी व बरामदगी शराब के लिए नरौनी गाँव आया। गाँव के उत्तरी व पूर्वी किनारे पर स्थित राम आशीष के मकान के पास मुखबिर के इशारे पर राम आशीष के मकान के उत्तर सरपत की टाटी से घेरे हुए एक तख्त पर एक आदमी प्लास्टिक के बड़े ड्रम में शराब के कारोबार में लगा हुआ नजर आया। हम लोग ने खुद को छिपाते हुए सरपत की टाटी की आड़ में छिपकर देखा तो अभियुक्त राम आशीष यादव ड्रम के पास रखी यूरिया और फिटकिरी और नौशादर अपने हाथ से मिलाकर ड्रम में शराब को अपमिश्रित कर रहा है। तख्त पर एक पाउचिंग मशीन तथा खाली प्लास्टिक के पाउच रखे नजर आ रहे थे। यह विश्वास हो गया कि अपमिश्रित शराब पाउचिंग के लिए तैयार की जा रही है। कि समय करीब 17.30 बजे एक बारगी दबिश देकर पकड़ने के कुछ क्षण पहले ही आहट पाकर अभियुक्त राम आशीष यादव फसलों की आड़ का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया। तख्त पर रखे बड़े ड्रम में रखे 100 लीटर अपमिश्रित शराब जरिकैन में लगभग 20 लीटर तथा

दूसरे जरिकैन में 10 लीटर शराब एक ही पन्नी में आधा किलो यूरिया दूसरे में एक पाव नौशादर तथा एक सफेद पन्नी में एक पाव फिटकरी तथा पाउचिंग मशीन जिसपर गोल्डेन इगल लिखा था तथा प्लास्टिक के खाली बड़े 235 पाउच, एक प्लास्टिक की बाल्टी, पाँच लीटर का खाली जरिकैन व एक लोटा बरामद हुआ। बरामद शराब में से कुछ शराब निकाल कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा बरामद शराब का ढक्कन बन्द कर सर्व मुहर किया गया तथा पाउचिंग मशीन व पाउचों को सील में रखकर सर्व मुहर किया गया, बाल्टी को पुलिस कब्जे में लिया गया, मौके पर ही उप–निरीक्षक आर०बी० सिंह द्वारा मौके पर एक फर्द लिखकर पढ़कर सुनाया गया और अपना हस्ताक्षर बनाये। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज सं० 5 क जो एस०एस०आई० आर०बी० सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के बाबत् विवेचक ने मेरा पूछताछ कर बयान लिया था।

(8) पी०डब्लू० 1 सुभाष सिंह यादव ने अपनी प्रति परीक्षा मे सशपथ साक्ष्य दिया है कि मुख्य परीक्षा के दिन और आज मुकदमे से संबंधित माल हमारे सामने पेश नहीं हुआ। कौन–कौन सामान बरामद हुआ बता सकते है लेकिन यह नहीं बता सकते की यह सामान वहीं है या दूसरा है। मुखबिर के बताने के बाद जब हम लोग मौके के लिए रवाना हुए तो आपस में अपनी जामा तलाशी किये थे। मेरी तलाशी कौन लिया था मुझे याद नहीं है। यह भी याद नहीं कि मैं किसकी जामा तलाशी लिया था। आर०बी० सिंह की तलाशी किसने लिया था यह भी नहीं बता सकता। हम लोगों के पास पहने कपड़े के अलावा और कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। मुल्जिम रामआशीष को पहले से मैं जानता पहचानता था। इसलिए मैं जातना था कि वह मेरे क्षेत्र में आता था। मेरी पोस्टिंग किसी चौकी पर नहीं थी मु०बाद थाने पर थी। जामा तलाशी के बाद दरोगा जी अपने फर्द में उसका उल्लेख नहीं किया है। मुल्जिम राम आशीष मेरी ही बिरादरी का है। अभियुक्त से मेरी कोई अच्छी जान–पहचान नहीं थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त राम आशीष से मेरा अच्छा संबंध था। अभियुक्त राम आशीष को मौके पर से गिरफ्तार नहीं किया गया था। हम लोग पकड़ने का प्रयास किये थे परन्तु फसलों की आड़ लेकर भाग गया था। हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ाये थे। हम लोग जब छिपकर अभियुक्त को शराब अपमिश्रित करते देख रहे थे तो अपनी मोबाइल से कोई विडियों नहीं बनाये थे न हीं कोई फोटो खींचे थे। दरोगा जी हमसे फर्द पर हस्ताक्षर बनवाये थे। फर्द के अलावा और कही हस्ताक्षर नहीं बनवाये थे। फर्द की दो कापी तैयार की गयी थी। जनता का कोई गवाह लेकर नहीं गये थे अगल बगल के लोग भी कोई गवाही नहीं किया। आर०बी० सिंह एस०एस०आई० का मैं अधिनस्थ कर्मचारी था। उन्होने जिस तरह से कहा वैसे मैंने फर्द पर हस्ताक्षर बना दिया। घटना स्थल के आसपास कई मकान है। वहां मंदिर भी बगल में है। घटना के समय मंदिर पर कोई पुजारी नहीं था, घटना स्थल से तमसा नदी 70 मीटर दूर होगी। वहाँ कोई भरा हुआ पाउच नहीं मिला था। मौके पर कोई तार–बल्ब होल्डर नहीं मिला

था। पाउचिंग मशीन से मौके पर पाउच बनाते हुए नहीं देखा था। मौके पर अपमिश्रित शराब को मैं टेस्ट नहीं किया था। मैं शराब पहचानने का विशेषज्ञ नहीं हूँ। यह कहना गलत है कि मैं जैसा बता रहा हूँ, मौके पर ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है। यह भी कहना गलत है कि विभाग में गुडवर्क दिखाने के लिए सारी कार्यवाही थाने पर किया गया है।

(9) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी सं. 2 सेवानिवृत्त हेड का० नन्कऊ राम** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 13.05.2026 में सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 25.9.2009 को मैं बतौर कांस्टेबल मुहर्रिर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ में तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा वरिष्ठ उप–निरीक्षक आर०बी० सिंह द्वारा थाना कार्यालय आकर एक फर्द दी गयी थी जिसके आधार पर मैंने मुकदमा अपराध सं० 1396/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०सं० बनाम राम आशीष यादव चिक सं० 224/2009 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया। वह चिक शामिल पत्रावली कागज सं० 4 क/1, 4 क/2 को है। जिसकी मैं पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। उक्त चिक का इंद्राज वरिष्ठ उप–निरीक्षक आर०बी० सिंह द्वारा रपट सं० 48 में समय 20.10 बजे अपने लेख व हस्ताक्षर में किया है। जिसकी मैं पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। उक्त मुकदमें की विवेचना एस०आई० देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया है। मैं उनके साथ काम किया हूँ। मैं उनको लिखते पढ़ते देखा हूँ। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। मुकदमे में समस्त सी०डी० उनके द्वारा किता किया गया है। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया है। जो शामिल पत्रावली कागज सं० 9 क है जिसकी मैं पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 4 डाला गया है। मुकदमे में साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त राम आशीष यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी नरौनी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०सं का अपराध पाते हुये न्यायालय में प्रेषित किया है जिसकी मैं पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। विवेचक ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

(10) पी.डब्लू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि सूचना के समय मैं मुकदमा के वादी मुकदमा एस०एस०आई० आर०बी० सिंह के अधीनस्थ मातहत कर्मचारी था। उनके द्वारा दिये गये फर्द तहरीर के आधार पर मैंने मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मुकदमें की मूल जी०डी० आज मेरे सामने नहीं है। इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि इस मुकदमा के पहले व इस मुकदमा के बाद में कौन सा मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मुकदमे के विवेचक देवेन्द्र शर्मा जिंदा है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। नक्शा नजरी मेरे सामने नहीं बनाये थे। फर्द के अलावा मुकदमें से संबंधित माल दिये थे। वह माल आज अदालत में मेरे सामने नहीं है। वह माल नष्ट हो गया कि रखा गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के मातहत होने के नाते उनके प्रभाव में होकर एंटी टाइम मुकदमा

दर्ज किया हूँ। यह भी कहना गलत है कि अपने विभाग में गुड वर्क दिखाने के लिये संपूर्ण कार्यवाही फर्जी तरीके से थाने पर की गई थी।

(11) अभियोजन की तरफ से अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(12) अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए घटना गलत होना, रंजिशन गलत तहरीर देना व गलत ढंग से विवेचना कर गलत आरोप–पत्र प्रेषित करना बताया है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

(13) मैंने अभियोजन पक्ष से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

(14) निमित्त विधि निर्णय **नासिर शेलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 489** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

(15) विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अभियेजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

(16) विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाय। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाना है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क

(17) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। मौके पर बरामद अपमिश्रित शराब, अवैध शराब की पाउचिंग की मशीन व अन्य सामान अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। जरिये मुखबिर की सूचना पर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद होना कहा है परंतु कोई भी

गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी का जन साक्षी नहीं बनाया गया है। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 6 किलोमीटर होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घण्टे तीस मिनट के विलंब से दर्ज करायी गयी है। मात्र रंजिश के कारण तथा गुडवर्क दिखाने के कारण पुलिस द्वारा झूठा व मनगढंत कहानी के आधार पर फर्द बरामदगी दिखाकर अभियुक्तगण को आरोपी बनाया गया है। अभियोजन के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 272 भा०दं०सं० व धारा 60 आबकारी अधिनियम का अपराध नहीं बनता है, न ही अभियुक्त के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराधों से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

(18) अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी व अन्य कार्यवाही के दौरान कुछ समय व्यतीत होना स्वाभाविक है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब से दर्ज होने मात्र से घटना की प्रमाणिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 25.09.2009 को बहद स्थान नरौनी, थाना– मुहम्मादाबाद गोहना, जनपद– मऊ में थाना–मुहम्मदाबाद गोहना की पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से ओ०पी० मिश्रित शराब व शराब अपमिश्रित करने की सामग्री बरामद किये गये हैं जिसे अभियोजन साक्षीगण ने अपने साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित किया है। फर्द बरामदगी के लेखक को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है जिसने फर्द बरामदगी को न्यायालय में साबित किया है। अतः अभियुक्त उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

(19) हस्तगत वाद में अब यह देखा जाना है कि क्या दिनांक 25.09.2009 को समय 20.10 बजे बहद नरौनी, अंतर्गत थाना–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद– मऊ में अभियुक्त राम आशीष यादव के कब्जे से पुलिस द्वारा ओ०पी०मिश्रित शराब व अपमिश्रित करने की सामग्री बरामद किया गया है, जिसे रखने का कोई अनुज्ञा पत्र उनके पास नहीं था तथा उक्त सामग्री को उनके द्वारा बेचने का इरादा था अथवा नहीं ?

(20) अब पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

(21) **प्रस्तुत सत्र परीक्षण, जो मुख्यतः 272 भा.दं.सं से संबन्धित है, इस परिप्रेक्ष्य में** धारा 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय के अपमिश्रण को दण्डित करती है। धारा के अधीन हर व प्रत्येक प्रकार का अपमिश्रण दण्डनीय अपराध नहीं है। केवल खाने या पीने की उसी वस्तु का अपमिश्रण इस धारा के अन्तर्गत अपराध है, जिसमें अपमिश्रण इस आशय से किया जाता है कि ऐसी वस्तु की खाद्य या पेय के रूप में बेचे जाने को सम्भाव्यता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत प्रस्तुत धारा 272 केवल मानवीय खाद्य या पेय के बिक्री के लिए आशयित नहीं है। इसके अधीन पशु आदि के लिए

बिक्री हेतु आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण भी आता है। यही कारण है कि इस धारा में वाक्यांश "किसी खाने या पीने की वस्तु" का उल्लेख है।

धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के मुख्य संघटक

(1) यह है कि प्रश्नगत वस्तु एक खाद्य या पेय है।

(2) यह कि इसको अभियुक्त ने अपमिश्रित किया था।

(3) यह कि उक्त अपमिश्रण ने इसे खाद्य या पेय के रूप में अपायकर (noxious) बना दिया था।

(4) यह कि अभियुक्त ने उक्त वस्तु को इस आशय से अपमिश्रत किया था कि इसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा।

(22) अभियोजन द्वारा यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य है कि प्रश्नगत वस्तु का अपमिश्रण इस आशय से किया गया था कि इसको खाद्य या पेय के रूप में बेचा जा सके।***[विधि निर्णय सुलेमान शामजी प्रति एम्परर, ए.आई.आर. 1943 बम्बई 445]***

(23) यह स्थापित करने के लिए कि धारा 272, भा०दं०सं० के अधीन अपराध कारित हुआ है, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि– (i) प्रश्नगत पदार्थ खाद्य या ऐसा पेय था, जो जीवित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित था, (ii) यह कि अभियुक्त ने इसे अपमिश्रित किया था, (iii) यह कि ऐसे अपमिश्रण ने इसे खाद्य अथवा पेय के रूप में अनुपयुक्त (noxious) बना दिया था, तथा (iv) यह कि अभियुक्त ऐसे अपमिश्रण के समय ऐसे खाद्य या पेय को खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेचने का आशय रखता था अथवा वह सम्भाव्य जानता था कि ऐसी वस्तु खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेची जाएगी।

(24) किसी वस्तु को अपायकर (noxious) बनाने से अभिप्रेत इसे विषैला अथवा हानिकारक अथवा दोनों बनाना है। स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है, जैसे ही अपमिश्रण वाला पदार्थ ऐसे खाद्य या पेय में मिलाया जाता है, बशर्ते कि ऐसा खाद्य या पेय वास्तव में बेचने के लिए है या जिसके बेचे जाने की सम्भाव्यता है।

(25) अपमिश्रण का अपराध मात्र किसी विषैले अर्क या एरक(arrack) के कब्जे से धारा 272 के अधीन कारित हो जाता है। ***[विधि निर्णय जोसफ कुरियन जोसे प्रति केरल राज्य, 1995 क्रि.लॉ. जर्नल 502(एस.सी.)]***

(26) जहां तक उक्त आरोपों को साबित करने का संबंध है, **साबित** शब्द को धारा–3 साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत हैः–

"साबित" – *कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके*

अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समक्षे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

(27) आपराधिक वादों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के **कृष्णामोची एवं अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट (क्रि.) पेज 1220** एवं **अम्बिका प्रसाद एवं अन्य बनाम स्टेट आप दिल्ली एडमिन्स्ट्रेशन 2000 एस.सी.सी. (क्रि.) पेज 522** के वादों का परिशीलन किया जाना आवश्यक है जिसमें इस आशय का सिद्धांत प्रतिवादित किया गया है कि जहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दण्डित न हो, वहीं यह भी कर्तव्य है कि कोई दोषी व्यक्ति बिना दण्डित हुए न बच सके, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

साक्ष्य का मूल्यांकन/विश्लेषण

(28) अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना स्थल से अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई थी वह फसलों की आड़ लेकर भाग गया था। ऐसी स्थिति जहाँ अभियुक्त को घटना स्थल से अपराध करते हुए या अपराध के तुरंत बाद नहीं पकड़ा गया, तो मात्र बरामदगी के आधार पर उसे अपराध से जोड़ना विधि की दृष्टि से पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बरामदगी का मूल्य तभी है जब अभियोजन यह सिद्ध करे की बरामद वस्तु अभियुक्त की निशानदेही पर प्राप्त हुई है। केवल पुलिस अधिकारियों के कथन के आधार पर यह मान लेना की बरामद वस्तु अभियुक्त की ही थी, तब तक उचित नहीं है जब तक अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध न हों। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के वास्तविक कब्जे या अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्ता का कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, तब मात्र कथित बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ना विधिसम्मत नहीं है। संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।

(29) अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामदशुदा अपमिश्रित शराब की पाउचिंग कर उसको विक्रय के लिए तैयार किया जा रहा था। अतः अभियुक्त पर धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप बनता है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा तथाकथित बरामदशुदा माल की बिक्री किस स्थान पर व किसको किया जाना था। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा तथाकथित बरामदशुदा माल बिक्री के इरादे से तैयार किया जा रहा था। अभियोजन द्वारा ऐसे किसी साक्षी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियुक्त को कथित सामग्री में मिलावट करते या उसकी बिक्री करते हुए देखा हो न ही किसी ग्राहक के संबंध में कोई कथन किया गया है जो अभियुक्त से कथित सामग्री क्रय करें। यह भी कथन किया है कि वह शराब पहचानने का विशेषज्ञ नहीं है। उन्होने सूंधने के आधार पर ही अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में मुकदमा

पंजीकृत कराया था। जो माल अभियुक्त के वाहन से बरामद किया गया था आज वह साक्षी के सामने नहीं है। उसने अपमिश्रित शराब की पहचान करने की कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी। अभियोजन द्वारा अन्य कोई ऐसे साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है जो मौके पर उपस्थित होकर शराब व अन्य सामग्रियों के अपमिश्रण की पहचान कर सके। अतः स्पष्ट है कि कथित शराब की बरामदगी के समय पुलिस टीम में उपस्थित सदस्यों में कोई शराब के अपमिश्रण की पहचान हेतु विशेषज्ञ नहीं था। उपर्युक्त बिंदु के दृष्टिगत विवेचना की सत्यता एवं प्रमाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

(30) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 6 किलोमीटर होने के बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दाखिल की गयी है। इसके खण्डन में अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी की कार्यवाही में समय व्यतीत होना स्वाभाविक है व प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र विलंब से पंजीकृत होने के आधार पर संपूर्ण घटना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में फर्द बरामदगी में उल्लिखित कथनों का परिशीलन किया जाना समीचीन होगा। फर्द बरामदगी में वरिष्ठ उप–निरीक्षक आर०बी० सिंह ने दिनांक 25.09.2009 को मुखबिर खास की सूचना प्राप्त होना बताया गया, सूचना किस समय, किस स्थान पर व किस रूप में प्राप्त हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये जाने के आधार पर राम आशीष यादव की पहचान पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी थी और फर्द प्रदर्श क 1 में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त फसलों का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। पी.डब्लू. 1. सुभाष यादव द्वारा भी अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी मौके से नहीं हुई थी। स्पष्ट है कि मौके पर अभियुक्त पुलिस टीम द्वारा पकड़ा नही गया। अतः स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के दौरान लगभग 2 घंटों तीस मिनट का अंतराल है।

(31) विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना में की गयी बरामदगी का कोई जन साक्षी उपलब्ध नहीं है। जन साक्षी की उपस्थिति के संबंध में फर्द बरामदगी व पी०डब्लू० 1 सुभाष यादव द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि साक्षी की तलाश किया गया तो परन्तु कोई नहीं मिला। यह भी कथन किया गया है कि मौके पर गाँव के काफी लोग आ गये थे लेकिन गवाही के लिए कहा गया तो अभियुक्त राम आशीष यादव के डर सो कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी के अभाव में समस्त अभियोजन कथानक अपने आप में ही दूषित हो जाती है।

(32) इस निमित्त विधि निर्णय **गोविन्द बाजपेई तथा अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य 2005(2) ए०सी०आर० 1246** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था

प्रतिपादित की है कि यदि बरामदगी के समय जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है तो अभियोजन कहानी संदिग्ध मानी जायेगी।

(33) विधि निर्णय **मकरंद सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णीत 07 जनवरी, 2022 व हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम सुख राम 2003 सी.आर.एल.जे 219(एच.पी.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया किः–

(34) *इस अध्याय के अन्तर्गत तलाशी लेने से पहले, अधिकारी वे व्यक्ति हैं जो ऐसा करने वाले हैं, उन्हें उस इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाना होगा, जहां तलाशी की जाने वाली जगह अवस्थित है, वे किसी अन्य इलाके के हैं, यदि उक्त इलाके में ऐसा कोई निवासी नहीं है। स्थानीय लोग तलाशी में शामिल होने और गवाह बनने के लिए उपलब्ध हैं या इच्छुक हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकते हैं,*

(35) *इसके अभाव में धारा 100(4) दं.प्र.सं. के प्राविधान का परिपालन नही माना जायेगा, मात्र दो पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना विधियुक्त नही है, जैसा कि पाल सिंह बनाम दिल्ली ने 1998 एससीसी आपराधिक 641 में रिपोर्ट किया था।*

(36) इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में मौके पर गाँव के काफी लोग का आ जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है परंतु इस मामले में मौके का कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं कराया गया न ही उसका नाम ही अभियोजन प्रपत्रों में शामिल किया गया जिससे अभियोजन कथानक संदेह के घेरे में आ जाता है।

(37) प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा बरामद कथित शराब की पहचान घटनास्थल पर केवल "सूंघने" के आधार पर की गई, मौके पर कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ। बरामदशुदा शराब का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना भी अभियोजन कथानक को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। पत्रावली पर उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि बरामदशुदा शराब का कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कराया गया है बल्कि आबकारी निरीक्षक द्वारा बरामदशुदा माल का परीक्षण कराया गया है।

(38) यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के कब्जे से कथित मिश्रित शराब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके साबित नहीं कराया गया है। दूसरे शब्दों में इस सत्र परीक्षण से संबन्धित माल मुकदमाती, जिसके आधार पर अभियुक्तगण की दोषिता को संदेह से परे सिद्ध किया जाना हैं, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत ही नही किया गया है। जैसा कि इस प्रकरण के साक्षी सं० 1 सुभाष यादव ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है उक्त मुकदमे से संबन्धित समस्त माल मुकदमाती न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया।

(39) इस निमित्त विधि निर्णय **शमशेर सिंह तथा अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2006 सी०आर०एल०जे०(एन०ओ०सी० 12 राज०)** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षण किया है कि अभिकथित फर्द बरामदगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है तो अभियुक्त को कथित आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(40) विधि निर्णय ***मथुरा प्रसाद और अन्य प्रति मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1992*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्त दोषमुक्त का अधिकारी होगा।

(41) अतएवं उपर्युक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के साक्ष्य मूल्यांकन से अभियुक्त **राम आशीष यादव** के विरूद्ध लगाये गये कथित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के नाते अभियुक्त अन्तर्गत धारा 272 भा०द०सं० व धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राम आशीष यादव** को मुकदमा अपराध सं० 1396/2009, धारा 272 भा०द०सं० व धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना–मुहम्मदाबाद गोहना, जिला–मऊ के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंध पत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में मु० 20,000– (**बीस हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो प्रतिभू** इस आशय का प्रस्तुत किये जाए कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

माल मुकदमा (यदि कोई हो) अपील न किये जाने की दशा में, अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये और यदि अपील की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमा का निस्तारण किया जाये।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 08.06.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 08.06.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।